

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2025 (श्रावण 6, 1947)

समय 11.00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (2) श्री रघुनाथ चौधरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) श्री शिवशंकर लाल मुन्ना खेरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (4) श्री खेमराज पाटीदार, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (5) सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (6) डॉ. गिरिजा व्यास, भूतपूर्व केन्द्रीय उप मंत्री,
- (7) श्री विजय कुमार रमणीकलाल रूपाणी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात,
- (8) श्री मनोज कुमार, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता,
- (9) श्री रामसहाय पांडे, सुप्रसिद्ध लोक कलाकार,
- (10) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मृत नौसेना के अधिकारी, मध्यप्रदेश के पर्यटक सहित अन्य पर्यटक, एवं
- (11) दिनांक 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान एआई-171 के अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मृत यात्रियों सहित अनेक मेडिकल छात्र.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (क) एफ ए 3-13-2017-1-पांच (01), दिनांक 20 फरवरी, 2025,
- (ख) एफ ए 3-72-2017/1/पांच (02), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (ग) एफ ए 3-11/2018/1/पांच (03), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (घ) एफ ए 3-33/2017/1/पांच (04), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (ङ) एफ-ए-3-35/2017/1/पांच (05), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (च) एफ ए 3-32/2017/1/पांच (06), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (छ) एफ ए 3-42/2017/1/पांच (07), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (ज) एफ ए 3-47/2017/1/पांच (08), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (झ) एफ ए 3-43/2017/1/पांच (09), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
- (ञ) F.No 3-3-4-0006-2025-Sec-1-पांच (CT) (10), दिनांक 18 मार्च, 2025,
- (ट) CT-8-0001-2025-Sec-1-पांच (CT) (11), दिनांक 18 मार्च, 2025,
- (ठ) F.No 3-3-4-0004-2025-Sec-1-पांच (CT) (12), दिनांक 18 मार्च, 2025,
- (ड) एफ ए 3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 20 मार्च, 2025,
- (ढ) CT/8/0005/2025-Sec-1-05 (CT) (14), दिनांक 21 मार्च, 2025,
- (ण) CT/8/0002/2025-Sec-1-05 (CT) (15), दिनांक 21 मार्च, 2025,
- (त) CT/8/0004/2025-Sec-1-05 (CT) (16), दिनांक 21 मार्च, 2025,
- (थ) CT-8-0007-2024-Sec-1-पांच (CT) (17), दिनांक 28 मार्च, 2025,
- (द) CT-4-2-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (18), दिनांक 28 अगस्त, 2025,
- (ध) CT/8/0007/2025-Sec-1-05 (CT) (19), दिनांक 21 अप्रैल, 2025, एवं
- (न) CT/8/0006/2025-Sec-1-05 (CT) (20), दिनांक 21 अप्रैल, 2025

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 33 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (क) क्रमांक एफ-3-3-4-001-1-सत्रह (PHE) भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024, एवं
(ख) एफ 3-3-4-0001-2025-1-सत्रह- भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2025 (संशोधन)

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम, 2007 की कंडिका 20 की उप कंडिका (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगी.

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ii) शहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 423/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2025,

(ii) क्रमांक 424/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2025,

(iii) क्रमांक 570/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025, एवं

(iv) क्रमांक 571/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) -

(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला इंदौर, धार, मंदसौर, ग्वालियर एवं पन्ना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला सिंगरौली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी, 2024 से मार्च, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का

संकलन खण्ड-4 पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का

संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के इटारसी में न्यास कालोनी में मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर में उदीयमान फुटबाल खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का अभाव होने की ओर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री हरिशंकर खटीक, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दशम्, एकादश, द्वादश, त्रयोदश एवं चतुर्दश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद पटेल, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 27 जुलाई, 2025

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.